प्रेस नोट दिनांक 17.03.2026 जनपद प्रतापगढ़

प्रेस नोट दिनांक 17.03.2026
थाना पट्टी, जनपद प्रतापगढ़

चोरी प्रकरण में बड़ी बरामदगी- 02 नफर अभियुक्त एवं 01 नफर विधि का उल्लघंन करने वाला बालक के कब्जे से 01अदद टीवी LED 42 इंच LG कम्पनी का, 1100/- रूपया बरामद-

थाना पट्टी पुलिस टीम द्वारा 02 नफर अभियुक्त एवं 01 नफर विधि का उल्लघंन करने वाला बालक को ग्राम सिरिया औराईन से गिरफ्तार/पुलिस अभिरक्षा में लिया गया-

प्रतापगढ़।
दिनांक 14.03.2026 व दिनांक15.03.2026 को रात्रि में अज्ञात चोरों द्वारा चोरी की अलग अगल घटना कारित की गई थी। उक्त घटना के संबंध में थाना पट्टी में मु0अ0सं0 84/2026 धारा 331 (4),305 (A) BNS व मु0अ0सं0 86/2026 धारा 331 (4), 305 (A) BNS बनाम अज्ञात का अभियोग पंजीकृत किया गया था।

घटना की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर के कुशल निर्देशन में घटना के त्वरित अनावरण हेतु पुलिस टीमों का गठन किया गया था। गठित टीमों द्वारा सतत रूप से साक्ष्य संकलन, सीसीटीवी फुटेज का विश्लेषण एवं संभावित स्थानों पर लगातार दबिश दी जा रही थी। उक्त अथक प्रयासों के परिणामस्वरूप आज दिनांक 17.01.2026 को पुलिस टीमों द्वारा घटना का सफल अनावरण करते हुए इसमें संलिप्त अभियुक्तों की पहचान एवं गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई है।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर के निर्देशन में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री शैलेन्द्र लाल व क्षेत्राधिकारी पट्टी श्री मनोज कुमार सिंह रघुवंशी के पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी पट्टी श्री आनन्द पाल सिंह के कुशल नेतृत्व में उ0नि0 सरनाम सिंह मय हमराह अमित कुमार चौहान, उ0नि0 अतुल यादव मय,का० हरिकेश पाल,का० केहरी सिंह द्वारा देखभाल क्षेत्र/ तलाश वांछित वारण्टी अभियुक्त, संदिग्ध व्यक्तियों, वाहनों की चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर मु0अ0सं0 84/26 धारा 331 (4),305 ए बीएनएस व मु0अ0सं0 86/26 धारा 331 (4),305 ए बीएनएस से संबंधित1.आकाश सिंह पुत्र स्व० सत्यनारायन सिंह उम्र करीब 19 वर्ष नि0 बीबीपुर थाना पट्टी जनपद प्रतापगढ, 2. शिवांश त्रिपाठी पुत्र प्रदीप त्रिपाठी उम्र करीब 19 वर्ष नि0 औराइन थाना पट्टी जनपद प्रतापगढ, 3. विधि का उल्लंघन करने वाला बालक को 01अदद टीवी LED 42 इंच LG कम्पनी का, 1100/- रूपया को साथ थाना पट्टी क्षेत्रान्तर्गत ग्राम सिरिया औराईन से गिरफ्तार/पुलिस अभिरक्षा में लिया गया।

गिरफ्तार 02 नफर अभियुक्त एवं 01 नफर विधि का उल्लघंन करने वाला बालक के कब्जे से 01अदद टीवी LED 42 इंच LG कम्पनी का, 1100/- रूपया बरामद किये गये। उक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 317(2)बीएनएस की बढोत्तरी कर अग्रिम विवेचनात्मक कार्यवाही प्रचलित है।

पूछताछ विवरण-

गिरफ्तार अभियुक्तों ने पूछताछ में बताया कि हम तीनो लोग औराईन गांव में पिट्ट बैग एवं एक मोबाइल मय चार्जर सहित हम लोगो ने मिलकर दिनांक 13/14.03.2026 की रात में राजेश कुमार त्रिपाठी के घर में घुसकर चोरी किये थे और पिटू बैग के अन्दर 8000/- रूपया तथा गाड़ी का कागजात व बिजली का कागजात एवं आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड,ड्राईविंग लाइसेन्स, एक लौटा एवं चश्मा मिला था, जिसमें से 3500/- रूपये खर्च हो गये थे शेष 4500/- रूपये बचे थे, वही रूपये शिवांश त्रिपाठी के पास मिला है एवं सैमसंग की मोबाइल जो आकाश सिंह के पास से मिला है वह मोबाइल इसी चोरी से सम्बन्धित है एवं दिनांक 14/15.03.2026 की रात में राधेश्याम मौर्या के घर का ताला तोड कर घुसकर उपरी मंजिल से एक LED TV 42 इंच LG कम्पनी एवं 4200/- रूपये चोरी किये थे, जिसमें से 3100/- रूपये खर्च हो गये थे, शेष 1100/- रूपये बचे है, वह यश त्रिपाठी के पास मिले है। उपरोक्त दोनो चोरियाँ हम तीनो लोगो ने एक साथ मिलकर किये थे। जिसका बटवारा करने के लिए आज हम लोग यहां पर इकट्ठा होकर आपस में बात चीत कर रहे थे कि आप लोगो ने हम लोगो को पकड़ लिया।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-

1.आकाश सिंह पुत्र स्व० सत्यनारायन सिंह उम्र करीब 19 वर्ष नि0 बीबीपुर थाना पट्टी जनपद प्रतापगढ़।

2.शिवांश त्रिपाठी पुत्र प्रदीप त्रिपाठी उम्र करीब 19 वर्ष नि0 औराइन थाना पट्टी जनपद प्रतापगढ़।

3. विधि का उल्लंघन करने वाला बालक।

बरामदगी-

1. 01अदद टीवी LED 42 इंच LG कम्पनी का, 1100/- रूपया।

पुलिस टीम का विवरण-

उ0नि0 सरनाम सिंह मय हमराह अमित कुमार चौहान, उ0नि0 अतुल यादव मय,का० हरिकेश पाल,का० केहरी सिंह थाना पट्टी जनपद प्रतापगढ़।

थाना कोतवाली नगर जनपद प्रतापगढ़।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ के निर्देशन में थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा "हत्या के प्रयास" के अभियोग से संबंधित 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार-

थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा अभियुक्त को भैरोपुर बस स्टैंड के पास से गिरफ्तार किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 16.02.2025 को थाना कोतवाली नगर क्षेत्र काशीराम कालोनी सरोज चौराहा के पास दो पक्षों में मारपीट के प्रकरण में थाना कोतवाली नगर में मु0अ0सं0 98/26 धारा 191 (2)/190/115 (2)/352/351 (2)/109 (1)बीएनएस अभियोग पंजीकृत किया गया था।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा आपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिल अधीक्षक पूर्वी श्री शैलेन्द्र लाल व सहायक पुलिस अधीक्षक/ क्षेत्राधिकारी नगर श्री प्रशान्त राज के कुशल पर्वेक्षण में थाना प्रभारी कोतवाली नगर श्री सुभाष कुमार यादव के नेतृत्व में थाना कोतवाली नगर के उ0नि0 राहुल कुमार मय हमराह का0 मनोज कुमार व का० हेमन्त कुमार द्वारा देखभाल क्षेत्र/ तलाश वांछित, वारण्टी अभियुक्त व संदिग्ध व्यक्तियों, वाहनों की चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर मु0अ0सं0 98/26 धारा 191 (2)/190/115 (2)/352/351 (2)/109 (1)बीएनएस में वाँछित 01 अभियुक्त, अजमल उर्फ शहबाज पुत्र मुनीर उर्फ अमजद नि० कांशीराम कालोनी उम्र - लगभग 23 वर्ष थाना कोतवाली नगर जनपद प्रतापगढ़ को भैरोपुर बस स्टैंड के पास से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

01. अजमल उर्फ शहबाज पुत्र मुनीर उर्फ अमजद नि० कांशीराम कालोनी उम्र - लगभग 23 वर्ष थाना कोतवाली नगर जनपद प्रतापगढ़ ।

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहास-

1- मु0अ0सं0-351/24 धारा 392/411/506 भादवि थाना अंतू जनपद प्रतापगढ़ ।
2- मु0अ0सं0-352/24 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट व 307 भादवि थाना अंतू जनपद प्रतापगढ़।
3-मु0अ0सं0-0547/24 धारा 2/3 यू0पी0 गैगेस्टर एक्ट थाना अंतू जनपद प्रतापगढ़ ।
4-मु0अ0सं0-0045/24 धारा 120बी, 392,411 भादवि थाना फतनपुर जनपद प्रतापगढ़ ।
5-मु0अ0सं0-0094/23 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना कोहड़ौर जनपद प्रतापगढ़ ।
6-मु0अ0सं0-0095/ 23 धारा 4/5 विस्फोटक पदार्थ अधि० थाना कोहड़ौर जनपद प्रतापगढ़।
7-मु0अ0सं0-0738/18 धारा 380/411 भादवि थाना को० सिटी जनपद प्रतापगढ़।
8-मु0अ0सं0-0157/21 धारा 302/34/363/504/506 भादवि व 3 (1) (ध)/3(1) (द)/3(2)(va) sc/st थाना को0 सिटी जनपद प्रतापगढ़ ।
9-मु0अ0सं0-0957/22 धारा 399/402 भादवि थाना को० सिटी जनपद प्रतापगढ़।
10-मु0अ0सं0-0335/23 धारा 323/504/506/286 भादवि थाना को० सिटी जनपद प्रतापगढ़ ।
11-मु0अ0सं0-0655/23 धारा 392/411/504/506 भादवि थाना को० सिटी जनपद प्रतापगढ़ ।
12-मु0अ0सं0-0745/23 धारा 2/3 यू0पी0 गैगेस्टर एक्ट थाना कोतवाली सिटी जनपद प्रतापगढ़।
13-मु0अ0सं0-0054/24 धारा 120बी, 392/411 भादवि थाना को० सिटी जनपद प्रतापगढ़।

पुलिस टीम-

उ0नि0 राहुल कुमार मय हमराह का0 मनोज कुमार व का० हेमन्त कुमार थाना कोतवाली नगर जनपद प्रतापगढ़ ।

थाना रानीगंज, जनपद प्रतापगढ़

थाना रानीगंज क्षेत्रान्तर्गत ग्राम गम्भीरपुर फायरिंग प्रकरण में पुलिस की कार्यवाही, 03 अभियुक्त गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ के निर्देशन में थाना रानीगंज पुलिस की कार्यवाही : ग्राम गम्भीरपुर फायरिंग प्रकरण में 03 अभियुक्त, अजमत अली उर्फ शोएब, रणजीत सिंह उर्फ मेजर, मो0 शादाब अली गिरफ्तार-

थाना रानीगंज पुलिस द्वारा इससे पूर्व दिनांक 16.03.2026 को 02 अभियुक्त, अमरेश त्रिपाठी उर्फ टिंकू, राज सिंह गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है-
पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ द्वारा उक्त अभियोग में वांछित शेष नामजद 05 अभियुक्तों की शीघ्र गिरफ्तारी सुनिश्चित करने हेतु प्रत्येक पर ₹25,000/- (पच्चीस हजार रुपये) का पुरस्कार घोषित किया गया है-

प्रतापगढ़।
दिनांक 14.03.2026 को रात्रि 08.30 बजे थाना रानीगंज पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि क्षेत्रान्तर्गत ग्राम गम्भीरपुर स्थित मस्जिद के पास दो पक्षों के बीच आपसी कहासुनी को लेकर फायरिंग की घटना हुई है। सूचना पर स्थानीय पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची तथा जांच के दौरान ज्ञात हुआ कि दोनों पक्षों के कुछ व्यक्ति मोटरसाइकिलों से आए थे, जिनके मध्य कहासुनी के उपरांत एक-दूसरे पर असलहों से फायरिंग की गई। घटना के दौरान अजमत अली उर्फ शोएब अली व रंजीत उर्फ मेजर पुत्र रामबहादुर सिंह निवासी रतनमई थाना दिलीपपुर को गोली लगने से चोटें आईं, जिन्हें उनके साथियों द्वारा उपचार हेतु जिला अस्पताल प्रतापगढ़ भेजा गया था । उक्त प्रकरण के संबंध में थाना रानीगंज में दोनों पक्षों के विरुद्ध थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 95/2026 धारा 191(2), 193(3), 190, 109(1) बीएनएस व 7 सीएल एक्ट बनाम दोनो पक्षो के 10 नामजद एवं कुछ व्यक्ति अज्ञात के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया था ।

सूचना प्राप्त होते ही उच्चाधिकारीगण द्वारा तत्काल घटनास्थल पर पहुंचकर निरीक्षण किया गया। फील्ड यूनिट, स्थानीय पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचकर आवश्यक साक्ष्य संकलन की कार्यवाही विधिवत की गई।

घटना की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा त्वरित संज्ञान लेते हुए घटना के शीघ्र अनावरण एवं अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु विभिन्न पुलिस टीमों का गठन किया गया। गठित टीमों द्वारा घटनास्थल से प्राप्त भौतिक साक्ष्यों, तकनीकी विश्लेषण एवं अन्य महत्वपूर्ण सूचनाओं के आधार पर अभियुक्तों की शिनाख्त एवं गिरफ्तारी हेतु सतत एवं प्रभावी प्रयास किए जा रहे थे।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा आपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक (पूर्वी) श्री शैलेन्द्र लाल व क्षेत्राधिकारी रानीगंज श्री विनय प्रभाकर साहनी के कुशल पर्वेक्षण में थाना प्रभारी रानीगंज श्री प्रभात कुमार सिंह के नेतृत्व में थाना रानीगंज के

निरीक्षक सुधीर कुमार मय महराह उ0 नि0 अंकित श्रीवास्तव व का0 विकास बाबू द्वारा देखभाल क्षेत्र/ तलाश वांछित, वारण्टी अभियुक्त व संदिग्ध व्यक्तियों, वाहनों की चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर मु0अ0सं0 95/2026 धारा 191(2), 193(3), 190, 109(1) बीएनएस व 7 सीएल एक्ट से संबंधित 03 अभियुक्तों, 01. रणजीत सिंह उर्फ मेजर पुत्र राम बहादुर निवासी रतनमई थाना दिलीपपुर जनपद प्रतापगढ़ उम्र 30 वर्ष, 02. अजमत अली उर्फ शोएब अली पुत्र शाबीर अली निवासी पूरे गोलिया थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ़ उम्र 25 वर्ष को उपचार उपरांत SRN अस्पताल से थाना हाजा लाकर विधिक प्रक्रिया के तहत अभियुक्त को विधिवत गिरफ्तार किया गया तथा 03. मो0 शादाब अली पुत्र लियाकत निवासी पचरास थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 23 वर्ष को थाना क्षेत्रान्तर्गत दादूपुर रेलवे स्टेशन पुलिया के पास से गिरफ्तार किया गया।

उक्त अभियोग से संबंधित अभियुक्त अमरेश त्रिपाठी उर्फ टिंकू पुत्र सुरेश त्रिपाठी निवासी परसरामपुर थाना रानीगंज, उम्र लगभग 28 वर्ष तथा राज सिंह पुत्र राजेश प्रताप सिंह निवासी रतनई थाना दिलीपपुर, उम्र लगभग 22 वर्ष को पूर्व में दिनांक 16.03.2026 को गिरफ्तार कर आवश्यक विधिक कार्यवाही उपरांत माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया था, जहां से दोनों अभियुक्तों को न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजा जा चुका है।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्त अजमत अली उर्फ शोएब ने बताया कि दिनांक 14/03/2026 को मैं सरफराज उर्फ रावा ,फैसल,जिशाना, खुर्शीद बुलेट से मेढौली सब्जी लेने आये थे कि शादाब से सूचना मिली कि रंजीत सिंह उर्फ मेजर, राज सिंह, प्रशांत सिंह, आदित्य शर्मा व अमरेश त्रिपाठी बाराही देवी धाम की तरफ से आ रहे हैं आज इनको देख लो इस पर हम सभी लोग गंभीरपुर मस्जिद के पास पहुंचे कि ये लोग भी वहां आ गये तभी उनकी तरफ से मेरे ऊपर फायर कर दिया गया। गोली मुझे लगी तो मुझे खुर्शीद हास्पिटल ले गया और सभी वहां से निकल भागे।

अभियुक्त रंजीत सिंह उर्फ मेजर ने बताया बताया कि मैं व अमरेश त्रिपाठी उर्फ टिंकू ,राज सिंह, प्रशांत सिंह,आदित्य शर्मा माँ बराही देवी दर्शन कर लौट रहे थे ।रास्ते मे गंभीरपुर मस्जिद के करीब किसी की मुखबरी पर पूर्व मे पैसे के विवाद को लेकर अजमत अली उर्फ शोएब अली, सरफराज उर्फ रावा, फैसल, खुर्शीद व अन्य 4-5 व्यक्ति अज्ञात पिस्टल से जान से मारने की नियत से मुझपर किसी ने फायर कर दिया। मेरे बांह मे गोली लगी। मेरे तरफ से सम्भवतः प्रशांत सिंह ने गोली चलाई थी जिसपर अजमत अली को गोली लगी। पिस्टल प्रशांत सिंह या आदित्य शर्मा के पास होगी। अमरेश त्रिपाठी उर्फ टिंकू मुझे हास्पिटल ले गया। अजमत अली को भी उसके साथ के लोग हास्पिटल ले गये।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-

01. अजमत अली उर्फ शोएब अली पुत्र शाबीर अली निवासी पूरे गोलिया थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ़ उम्र 25 वर्ष।
02. रणजीत सिंह उर्फ मेजर पुत्र राम बहादुर निवासी रतनमई थाना दिलीपपुर जनपद प्रतापगढ़ उम्र 30 वर्ष।
03. मो0 शादाब अली पुत्र लियाकत निवासी पचरास थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 23 वर्ष।

आपराधिक इतिहास-

01- **रणजीत सिंह उर्फ मेजर पुत्र राम बहादुर निवासी रतनमई थाना दिलीपपुर जनपद प्रतापगढ़ उम्र 30 वर्ष का आपराधिक इतिहास-**

1. मु0अ0सं0 291/2025 धारा 2/3 गैंगेस्टर अधिनियम
2. मु0अ0सं0 220/2015 धारा 323/504/506 भादवि व 3(1)(10) SC/ST ACT, थाना कन्धई, जनपद प्रतापगढ़।
3. मु0अ0सं0 555/2019 धारा 120बी/302/394 भादवि, थाना कोतवाली नगर, जनपद प्रतापगढ़।
4. मु0अ0सं0 591/2019 धारा 307 भादवि, थाना कोतवाली नगर, जनपद प्रतापगढ़।
5. मु0अ0सं0 985/2019 धारा 2/3 उ0प्र0 गैंगस्टर एक्ट, थाना कोतवाली नगर, जनपद प्रतापगढ़।
6. मु0अ0सं0 303/2020 धारा 395 भादवि, थाना कन्धई, जनपद प्रतापगढ़।
7. मु0अ0सं0 319/2020 धारा 394 भादवि, थाना कन्धई, जनपद प्रतापगढ़।
8. मु0अ0सं0 320/2020 धारा 307 भादवि, थाना कन्धई, जनपद प्रतापगढ़।
9. मु0अ0सं0 386/2020 धारा 411/420/467/468/471 भादवि, थाना कन्धई, जनपद प्रतापगढ़।
10. मु0अ0सं0 388/2020 धारा 411/420/467/468/471 भादवि, थाना कन्धई, जनपद प्रतापगढ़।
11. मु0अ0सं0 109/2021 धारा 2/3 उ0प्र0 गैंगस्टर एक्ट, थाना कन्धई, जनपद प्रतापगढ़।
12. मु0अ0सं0 01/2025 धारा 103(1)/61(2)(a) BNS व 3(2)(V) SC/ST ACT, थाना रानीगंज, जनपद प्रतापगढ़।

उक्त अभियोग से संबंधित निम्नलिखित अभियुक्त घटना के बाद से फरार चल रहे हैं, जिनकी गिरफ्तारी हेतु लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इन अभियुक्तों की शीघ्र गिरफ्तारी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से प्रत्येक पर ₹25,000/- की पुरस्कार राशि घोषित की गई है—

अभियुक्तों के नाम-

1- सरफराज उर्फ रावा पुत्र बुद्धन, निवासी ग्राम जगदीशपुर थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ़।
2- प्रशान्त सिंह पुत्र भालचन्द्र, निवासी ग्राम शिवसत थाना दिलीपपुर जनपद प्रतापगढ़।
3- खर्शीद पुत्र नन्चू, निवासी ग्राम मढ़ौली थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ़।
4- आदित्य शर्मा पुत्र पुत्तनी शर्मा, निवासी दिलीपपुर थाना दिलीपपुर जनपद प्रतापगढ़।
5- फैसल पुत्र अमानतुल्ला, निवासी ग्राम रामदेव पट्टी थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ़।

पुलिस टीम का विवरण-

निरीक्षक सुधीर कुमार व उ0 नि0 अंकित श्रीवास्तव मय हमराह का0 विकास बाबू थाना रानीगंज, प्रतापगढ़।

<u>थाना रानीगंज, जनपद प्रतापगढ़</u>

“ऑपरेशन प्रहार” के तहत प्रतापगढ़ पुलिस की बड़ी कार्यवाही : कुल 25 किलो गांजा, कार व नगदी के साथ दो अंतरराज्यीय तस्कर गिरफ्तार-

थाना रानीगंज पुलिस व एएनटीएफ (मेरठ व प्रयागराज) की संयुक्त कार्यवाही में कुल 25 किलो गांजा, घटना में प्रयुक्त कार व 2530/- नगदी के साथ 02 अंतरराज्यीय तस्कर गिरफ्तार-
उड़ीसा से गांजा खरीदकर NCR क्षेत्र में सप्लाई करने वाले तस्करों का खुलासा : वाहन के माध्यम से अंतरराज्यीय तस्करी कर करते थे खरीद-फरोख्त-
अंतरराज्यीय तस्कर अभियुक्तों थाना रानीगंज क्षेत्रान्तर्गत ग्राम बीठलपुर पट्टी के पास से गिरफ्तार।

जनपद प्रतापगढ़ में पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर के कुशल निर्देशन में “ऑपरेशन प्रहार” प्रभावी रूप से संचालित किया जा रहा है, जिसके तहत आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त तत्वों के विरुद्ध सतत एवं कठोर कार्यवाही की जा रही है।

इसी क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक (पूर्वी) श्री शैलेन्द्र लाल व क्षेत्राधिकारी रानीगंज श्री विनय प्रभाकर साहनी के कुशल पर्वेक्षण/ नेतृत्व में थाना रानीगंज से प्रभारी निरीक्षक रानीगंज श्री प्रभात कुमार सिंह मय हमराह उ0नि0 गिरजा प्रसाद सिंह, का0 नरायन जी, का0 आशीष कुमार व एएनटीएफ थाना मेरठ से का0 रोहित, का0 कपिल रावत एवं एएनटीएफ ऑपरेशनल यूनिट, प्रयागराज से उ0नि0 मनीष कुमार सिंह, का0 नीरज पाण्डेय द्वारा संदिग्ध व्यक्तियों, वाहनों की चेकिंग के दौरान, मुखबिर की सूचना पर थाना रानीगंज क्षेत्रान्तर्गत ग्राम बीठलपुर पट्टी के पास से 02 अभियुक्तों, 01. रोहित कुमार गौतम उम्र करीब 39 वर्ष पुत्र राजकुमार निवासी ग्राम अंतपुर थाना मांधाता जनपद प्रतापगढ़ हाल निवासी जेजे कॉलोनी बवाना थाना बवाना ईस्ट दिल्ली, 02. मेहराज पुत्र इरशाद निवासी गोहटिया खुर्द कला थाना जैथरा जनपद एटा हाल निवासी भंगी वाली गली दल्लूपुरा थाना अशोक नगर, दिल्ली के कब्जे से कुल 25 किलो ग्राम गाँजा नाजायज व घटना में प्रयुक्त 01 अदद मारूति अर्टिगा कार व गांजा बिक्री का 2530 रूपये नगद के साथ गिरफ्तार किया गया।

अभियुक्तों के कब्जे से कुल 25 किलो ग्राम गाँजा नाजायज व घटना में प्रयुक्त 01 अदद मारूति अर्टिगा कार व गांजा बिक्री का 2530 रूपये नगद बरामद किया गया, जिसके संबंध में थाना रानीगंज में मु0अ0सं0 97/2026 धारा धारा 8/20/29/60 एनडीपीएस एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया है।

पूछताछ का विवरण-
अभियुक्त रोहित कुमार गौतम बताया गया कि मैं दिल्ली और आसपास में क्षेत्र में इस कार को भाडे पर चलाता था तभी से मैं गांजा की खरीद फरोख्त करने वाले लोगों के सम्पर्क में आ गया था। मेरी मेहराज से मुलाकात भी गाडी चलाने के दौरान दिल्ली में ही हुई थी, इसे मैने उडीशा से गांजा लिवाने के लिये कहा था। मेहराज ने पैसों का इन्तजाम किया और हम दोनों इस गाडी से 12 मार्च को उडीशा पहुंचे और वहां के स्थानीय व्यक्तियों से गांजा की

खरीद की थी, मुझे उसका नाम नहीं पता कि किससे गांजा खरीदा था, उडीशा के गजपति जिले में मोहाना के पास में गांजा लिया था और इस गांजा को एनसीआर में मेहराज द्वारा बेचा जाना था। मैं वर्ष 2023 में इसी गाडी से गांजा के साथ मैनपुरी जिले में पकडा गया था। यह गाडी मैने वर्ष 2022 में पूर्व वाहन स्वामी इमरान से शपथपत्र पर खरीदी थी और इस गाडी पर लोन होने के कारण गाडी मेरे नाम नहीं हो सकी थी, गाडी का लोन मैने ही भरा था और पकडे जाने से बचने के लिये लोन उतरने के बाद गाडी अपने नाम नहीं करायी थी।

अभियुक्त मेहराज द्वारा बताया गया कि मैं डल्लूपुरा, दिल्ली में 6-7 साल से रहता हूँ ओर कबाडी का काम करता हूँ। मेरी भाडे को लेकर रोहित गौतम से मुलाकात हुई थी और अच्छी जान पहचान हो गयी थी, रोहित गौतम ने ही मुझे उडीशा से गांजा लाकर सप्लाई करने से होने वाले लाभ के बारे में बताया था और अपनी गाडी से गांजा लिवाकर लाने के लिये बोला था। रोहित गौतम के कहने पर मैंने पैसों का इन्तजाम किया और गांजा लेने के लिये उडीशा पहुंचे थे, उडीशा में गांजा लेने के लिये रोहित गौतम ने वहां पर सम्पर्क किया था और उडीशा के आदमी से गांजा खरीदा था और गाडी में लोड कराकर आ रहे थे। यह गांजा मैं डल्लूपुरा और आसपास के लोगों को बेचता।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-

01. रोहित कुमार गौतम उम्र करीब 39 वर्ष पुत्र राजकुमार निवासी ग्राम अंतपुर थाना मांधाता जनपद प्रतापगढ़ हाल निवासी जेजे कॉलोनी बवाना थाना बवाना ईस्ट दिल्ली।

02. मेहराज पुत्र इरशाद निवासी गोहटिया खुर्द कला थाना जैथरा जनपद एटा हाल निवासी भंगी वाली गली दल्लूपुरा थाना अशोक नगर, दिल्ली।

बरामदगी-

कुल 25 किलो ग्राम गाँजा नाजायज व घटना में प्रयुक्त 01 अदद मारूति अर्टिगा कार व गांजा बिक्री का 2530 रूपये नगद बरामद।

पुलिस टीम का विवरण-

प्रभारी निरीक्षक रानीगंज श्री प्रभात कुमार सिंह मय हमराह उ0नि0 गिरजा प्रसाद सिंह, का0 नरायन जी, का0 आशीष कुमार थाना रानीगंज प्रतापगढ़।

एएनटीएफ थाना मेरठ- का0 रोहित, का0 कपिल रावत।

एएनटीएफ ऑपरेशनल यूनिट, प्रयागराज- उ0नि0 मनीष कुमार सिंह, का0 नीरज पाण्डेय।

बयान-

जनपद प्रतापगढ़ में अवैध मादक पदार्थों की बिक्री एवं प्रसार की रोकथाम हेतु प्रतापगढ़ पुलिस द्वारा निरंतर विशेष अभियान संचालित किया जा रहा है। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य जनपद को नशामुक्त वातावरण प्रदान करना तथा समाज, विशेषकर युवाओं, को इस गंभीर बुराई से सुरक्षित रखना है।

आमजन से अपील है कि यदि कहीं भी अवैध रूप से मादक पदार्थों का निर्माण, क्रय-विक्रय या तस्करी होती दिखाई दे, तो इसकी सूचना तत्काल पुलिस नियंत्रण कक्ष के मोबाइल नंबर — 6307363107 पर दें। आपकी पहचान पूर्णत: गोपनीय रखी जाएगी।

थाना देल्हूपुर जनपद प्रतापगढ़।

थाना देल्हूपुर पुलिस द्वारा शान्ति भंग में 04 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया-

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा अपराधिक क्रिया कलापों में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में, थाना देल्हूपुर के उ0नि0 राधेश्याम यादव , उ0नि0 वीरेन्द्र कुमार व उ0नि0 रामनिवास यादव देखभाल क्षेत्र , शांति व्यवस्था चेकिंग संदिग्ध वाहन/व्यक्ति,में खरवई क्रासिंग के पास चेकिंग कर रहे थे कि चेकिंग के दौरान देल्हूपुर से खरवई की तरफ एक मो0सा0 पर चार सवार व्यक्ति आते हुए दिखाई दिये जिनको रोककर पुछा गया तो सभी ने नाम पता बताने से इन्कार करते हुए अमादा फौजदारी होने लगे देल्हूपुर पुलिस टीम द्वारा काफी समझाया बुझाया गया परंतु नही माने । आज दिनांक 17.03.2026 को शांति व्यवस्था के दृष्टिगत अ न्तर्गत धारा-170/126/135 बीएनएसएस में दिन में खरवई क्रासिंग से गिरफ्तार किया गया तथा मो0सा0 UP70GY1878 स्पेलेण्डर प्लस को आनलाइन धारा 207 MV.ACT में सीज किया गया ।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण-

01. मयंक विश्वकर्मा पुत्र संतोष कुमार विश्वकर्मा उम्र 19 वर्ष निवासी ग्राम मोहम्मदपुर नौगवा उर्फ डुमनीमऊ थाना सोरांव जनपद प्रयागराज
02. करन यादव पुत्र मंगली यादव उम्र 22 वर्ष निवासी ग्राम बारी थाना फाफामऊ जनपद प्रयागराज
03. गंगा प्रसाद यादव पुत्र नीतू यादव उम्र 25 वर्ष निवासी ग्राम मियां का पुरवा थाना सरायममरेज जनपद प्रयागराज
04. सत्यप्रकाश यादव उर्फ नन्हे पुत्र रमेशचन्द्र यादव उम्र 23 वर्ष निवासी ग्राम हरबसपुर बलिकरनपुर थाना सोरांव जनपद प्रयागराज

पुलिस टीम-

उ0नि0 राधेश्याम यादव , उ0नि0 वीरेन्द्र कुमार व उ0नि0 रामनिवास यादव थाना देल्हूपुर जनपद प्रतापगढ़

थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ़।

थाना रानीगंज पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया-

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा अपराधिक क्रिया कलापों में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में, थाना रानीगंज के उ0नि0 गिरजा प्रसाद सिंह मय हमराह का0 रामकिशन द्वारा देखभाल क्षेत्र/ चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति व वाहन, तलाश वांछित, वारंटी दौरान एसटी सं0 8194/4 अ0स0 160/94 धारा

323/504/506 IPC से सम्बन्धित अभियुक्त वारण्टी ब्रह्मदेव पुत्र अगडु निवासी सण्डौरा थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ़ को उसके घर के पास से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-
01. ब्रह्मदेव पुत्र अगडु निवासी सण्डौरा थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ़ ।

पुलिस टीम-
उ0नि0 गिरजा प्रसाद सिंह मय हमराह का0 रामकिशन थाना रानीगंज, जनपद प्रतापगढ़।

थाना पट्टी जनपद प्रतापगढ़।

थाना पट्टी पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया-

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा अपराधिक क्रिया कलापों में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में, थाना पट्टी के उ0नि0 अजय अंचल मय हमराह का0 पंकज यादव द्वारा देखभाल क्षेत्र/ चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति व वाहन, तलाश वांछित, वारंटी दौरान मु0नं0 10704/21 संबंधित अ0सं0 146/90 धारा 323/504 भादवि थाना आसपुर देवसरा जनपद प्रतापगढ से सम्बन्धित अभियुक्त वारण्टी मगरू पुत्र राम अवतार उम्र करीब 50 वर्ष नि० बिरौती थाना पट्टी प्रतापगढ़ को उसके घर के पास से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-
01. मगरू पुत्र राम अवतार उम्र करीब 50 वर्ष नि० बिरौती थाना पट्टी प्रतापगढ ।

पुलिस टीम-
उ0नि0 अजय अंचल मय हमराह का0 पंकज यादव थाना पट्टी, जनपद प्रतापगढ़।

थाना देल्हूपुर जनपद प्रतापगढ़।

थाना देल्हूपुर पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया-

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा अपराधिक क्रिया कलापों में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में, थाना देल्हूपुर के उ0नि0 वीरेन्द्र कुमार मय हमराहीयान का0 अतुल दूबे व का0 हरवीर सिंह द्वारा देखभाल क्षेत्र/ चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति व वाहन, तलाश वांछित, वारंटी दौरान केश न0 820/24 धारा 138 थाना कोतवाली नगर प्रतापगढ़ से सम्बन्धित अभियुक्त वारण्टी संदीप सिह पुत्र सुरेश बहादुर सिह निवासी ग्राम चंघईपुर थाना देल्हूपुर जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 35 वर्ष को उसके घर के पास से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

01. संदीप सिह पुत्र सुरेश बहादुर सिह निवासी ग्राम चंघईपुर थाना देल्हूपुर जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 35 वर्ष।

पुलिस टीम-

उ0नि0 वीरेन्द्र कुमार मय हमराहीयान का0 अतुल दूबे व का0 हरवीर सिंह थाना देल्हूपुर, जनपद प्रतापगढ़।